

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	1474	श्री प्रदीप कुमार	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, राजगढ़, चूरू	1. RPSC, Ajmer -Group Instructor Exam -2018
2.	1633	सुश्री/श्रीमती निशा	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	1. UGC Net Exam- Dec 2019
3.	2154	श्री नलिन वर्मा	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, लाडनू, नागौर	1. GATE - 2020 2. FSSAI - Assistant manager (IT) Written Exam 2019
4.	2633	सुश्री/श्रीमती पूजा रानी	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	1. UGC NET Exam- Dec.2019
5.	3084	सुश्री/श्रीमती नितिका सिंह	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	1. RPSC, Ajmer -Group Instructor Exam -2018 2. RPSC, Ajmer -Vice Principal/Superintendent ITI-2018
6.	3411	श्री नवीन कुमार आनन्दकर	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	1. AIIMS, Jodhpur - Office Assistant Exam 2019
7.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती प्रिटी मीना	वित्त विभाग (व्यय-3) शासन सचिवालय, जयपुर	1. SSC -CGL & CHSL Exam 2019
8.	2018 Batch	श्री पुखराज खटिक	कार्यालय एसीपी (डी.डी.), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, आसिद, भीलवाड़ा	1. RPSC, Ajmer -Vice Principal/Superintendent ITI-2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये वगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार बृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—Sd—

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)
जयपुर, दिनांक

क्रमांक : एफ 2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

16/12/19

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)